प्रति,

श्रीमान् ....

....

....

विषयः विशिष्ट अवसरों पर पशुवध गृह एवं मांस बिक्री दुकानों को बन्द रखवाये जाने बाबत।

मान्यवर,

मध्यप्रदेश शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल के द्वारा विभागीय ज्ञापन क्रमांक– 906/69 मं./18–3/90, भोपाल, दिनांक – 18/05/1990 के संदर्भ पूर्वक क्रमांक 2248/2006/अठारह–3, भोपाल, दिनांक 30/03/2007 को प्रदेश में स्थित समस्त जिला कलेक्टरों के लिये निर्देश जारी किये गये थे। मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार विभागीय उप सचिव के हस्ताक्षर पूर्वक निर्गमित इस परिपत्र में आदेशित किया गया है कि, ''उपरोक्त विषय के संबंध में इस विभाग के संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसके द्वारा राज्य शासन ने निम्नांकित 17 विशिष्ट अवसरों पर नगरीय स्थानीय निकायों की सीमा में स्थित पशुवध गृहों एवं मांस बिक्री की दुकानों को बन्द रखे जाने के निर्देश जारी किये हैं। वे 17 दिवस निम्नानुसार हैं –

(1)	**गणतंत्र दिवस**	(2)	**गाँधी निर्वाण दिवस**	(3)	**महावीर जयंती**
(4)	**बुद्ध जयंती**	(5)	**स्वतंत्रता दिवस**	(6)	**गाँधी जयंती**
(7)	**राम नवमी**	(8)	**डोल ग्यारस**	(9)	**पर्यूषण पर्व का प्रथम दिन**
(10)	**पर्यूषण पर्व का अंतिम दिन**	(11)	**अनन्त चतुर्दशी**	(12)	**जन्माष्टमी**
(13)	**सन्त श्री जिन तरण तारण जयंती**	(14)	**पर्यूषण पर्व में संवत्सरी (श्वेताम्बर जैन)**	(15)	**भगवान महावीर के 2500वें निर्वाण दिवस**
(16)	**चैती चाँद**	(17)	**गणेश चतुर्थी**		

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि कृपया राज्य शासन के सन्दर्भित निर्देशों के अनुसार उपरोक्त विशिष्ट अवसरों पर नगरीय निकायों के क्षेत्र में पशुओं के वध और मांस बिक्री की दुकानों को बन्द कराये जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाये।

वर्ष 2017 के समापन दिवस तक उपरिलिखित 17 दिवस रूप ये विशिष्ट अवसर निम्नलिखित तिथि/दिनांक को आयेंगे –

1. गणतंत्र दिवस– 26 जनवरी, 2017, गुरुवार (माघ कृष्ण चतुर्दशी)।
2. गाँधी निर्वाण दिवस– 30 जनवरी, 2017, सोमवार (माघ शुक्ल तृतीया)।
3. चैती चाँद/चेटी चण्ड (चैत्र शुक्ल 2)– 29 मार्च, 2017, बुधवार।
4. रामनवमी (चैत्र शुक्ल नवमी)– 5 अप्रैल, 2017, बुधवार।
5. महावीर जयन्ती (चैत्र शुक्ल त्रयोदशी)– 9 अप्रैल, 2017, रविवार।
6. बुद्ध जयन्ती/बुद्ध पूर्णिमा (वैशाख शुक्ल पूर्णिमा)– 10 मई, 2017, बुधवार।
7. स्वतंत्रता दिवस – 15 अगस्त, 2017, मंगलवार (भाद्रपद कृष्ण अष्टमी)।
8. जन्माष्टमी (भाद्रपद कृष्ण अष्टमी)– 15 अगस्त, 2017, मंगलवार।
9. पर्यूषण पर्व का प्रथग दिन (गाद्रपद कृष्ण द्वादशी)– 18 अगस्त, 2017, शुक्रवार।
10. पर्यूषण पर्व का अंतिम दिन (भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी)– 25 अगस्त, 2017, शुक्रवार।
11. गणेश चतुर्थी (भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी)– 25 अगस्त, 2017, शुक्रवार।
12. पर्यूषण पर्व में संवत्सरी (श्वेताम्बर जैन) एवं उत्तम क्षमा (भाद्रपद शुक्ल पंचमी 26 अगस्त, 2017, शनिवार।
13. डोल ग्यारस (भाद्रपद शुक्ल एकादशी)– 2 सितम्बर, 2017, शनिवार।
14. अनंत चतुर्दशी (भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी)– 5 सितम्बर, 2017, मंगलवार।
15. गाँधी जयन्ती– 2 अक्टूबर, 2017, सोमवार (आश्विन शुक्ल द्वादशी)।
16. भगवान महावीर का निर्वाण दिवस (कार्तिक कृष्ण अमावस्या)– 19 सितम्बर 2017, गुरुवार।
17. संत श्री जिन तरण तारण जयन्ती (मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी)– 25 नवम्बर, 2017, शनिवार।

अतएव माननीय से अनुरोध है कि उपरलिखित विशिष्ट अवसरों पर मध्यप्रदेश राज्य शासन के निर्देशानुसार नगरीय स्थानीय निकायों के क्षेत्र में स्थित पशुओं के वधगृह एवं मांस बिक्री की दुकानों को बंद रखे जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जावे –

1. एतदर्थ उपरिलिखित इस वर्ष के अंतर्गत आने वाले विशिष्ट अवसरों के कुछ दिन पूर्व ही इलैक्ट्रॉनिक मीडिया रूप चैनल्स एवं प्रिन्ट मीडिया रूप समाचार पत्र आदि के द्वारा समाचार प्रकाशित/प्रसारित कराये जायें।
2. स्थानीय स्तर पर उक्त अवसरों से कुछ दिन पूर्व ही सार्वजनिक रूप से ध्वनि प्रसारण साधन द्वारा प्रशासनिक निर्देश जनसामान्य को सूचित कराया जावे ।
3. उक्त विशिष्ट अवसरों के दिन स्थानीय नगरीय निकायों के अंतर्गत आने वाले पशुवध गृह एवं मांस बिक्री की दुकानों का बंद होना सुनिश्चित कराने हेतु संबंधितजनों को सख्त चेतावनी दी जावे ।
4. उक्त विशिष्ट अवसरों के कुछ दिन पूर्व नगरीय क्षेत्रों में स्थित जनसामान्य में आपसी सौहार्द बना रहे, इस भावना से सभी वर्गों, समुदायों में से कुछ विशिष्ट प्रबुद्ध नागरिकों की यदि नगर में शांति समिति हो, अथवा नगर में शांति समिति निर्मित कर उसकी मीटिंग आहूत करके राज्य शासन के उक्त निर्देशों को बताकर क्षेत्र में शांतिमय वातावरण बना रहे, ऐसा प्रयास कराया जावे।

5. नगरों में स्थित शांति समिति में से कुछ सदस्यों का चयन समिति की मीटिंग में किया जावे, जो उक्त विशिष्ट अवसरों के दिन पुलिस प्रशासन के साथ जाकर क्षेत्र में स्थित पशुवध गृह एवं मांस बिक्री की दुकानें बंद कराया जाना सुनिश्चित करा सकें।
6. नगरों में स्थित पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया जावे कि वे स्वयं अथवा शांति समिति के निर्धारित/चयनित सदस्यों या नगर के सभी वर्गों, समुदायों में से कुछ विशिष्ट प्रबुद्ध नागरिकों, कार्यकर्ताओं, प्रतिष्ठित समाज–सेवियों के सहयोग पूर्वक उक्त विशिष्ट अवसरों के दिनों में नगरीय निकाय के अंतर्गत पशुवध गृह एवं मांस विक्रय दुकानों को बंद करायें।
7. उक्त विशिष्ट अवसरों के दिन पूर्व सूचना/चेतावनी दिये जाने के उपरांत भी यदि नगरीय निकाय के अंतर्गत आने वाले पशुवध गृह एवं मांस बिक्री की दुकानें बंद नहीं की जायें तो उन पर विधि–सम्मत उचित कार्रवाई की जावे।

आपसे अनुरोध है कि समय रहते कार्रवाई हेतु उचित निर्देश प्रसारित किया जाये एवं पुलिस प्रशासन को भी निर्देश दिये जायें। दिये गये निर्देश की सूचना प्रार्थी को भी मिल सके, ऐसा सुनिश्चित किया जावे।

संलग्न :– उपरिलिखित शासन निर्देश।

निवेदक

प्रतिलिपि :–
1. श्रीमान् कलेक्टर महोदय, जिला अशोकनगर (म.प्र.)
2. श्रीमान् एस.पी.महोदय, जिला अशोकनगर (म.प्र.)
3. श्रीमान् डी.एस.पी. महोदय, जिला अशोकनगर (म.प्र.)
4. श्रीमान् एस. डी. एम. महोदय, जिला अशोकनगर (म.प्र.)
5. श्रीमान् एस.डी.ओ(पी.) महोदय, जिला अशोकनगर (म.प्र.)
6. श्रीमान् तहसीलदार महोदय, जिला अशोकनगर (म.प्र.)
7. श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय, जिला अशोकनगर (म.प्र.)
8. श्रीमान् थाना प्रभारी महोदय, जिला अशोकनगर (म.प्र.)
9. श्रीमान् महापौर/अध्यक्ष/सी.एम.ओ. महोदय, जिला अशोकनगर (म.प्र.)
10. नगर निगम/नगरपालिका/नगरपरिषद, जिला अशोकनगर (म.प्र.)
11. श्रीमान् संवाददाता महोदय–समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल, जिला अशोकनगर (म.प्र.)